

# मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 सी.पी.सी.)

न्यायालय-सहायक कलक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी- रमेश देव (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या- 262/2021, वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1-अरविंद पुत्र लालचन्द 2-बाधोदेवी पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासीगण मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादीगण

बनाम

1.विनोदकुमार 2.दानाराम 3.ओमप्रकाश पिसरान बलवन्तराम जाति जाट निवासीगण नगराना तहसील संगरिया 4.सरोज पुत्री बलवन्तराम पत्नी ओमप्रकाश डूडी जाति जाट निवासी मिठी सुरेश तहसील ऐलनाबाद 5.मंगतराम पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी नगराना (विलापित) 6.एसबीआई, बैंक शाखा हनुमानगढ़ जरिए मैनेजर। 7.ओ.बी.सी./पी.एन.बी. बैंक शाखा नगराना जरिये मैनेजर। 8.तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक १-22.06.2023

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट वकील वादीगण मिन जानिब मुदई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 श्री कैलाश सिंवल वकील पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार भूअ. संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का निम्न प्रकार से खाता विभाजन कर रकम राज अलग-अलग से कायम करने के आदेश दिये जाते हैं।

चक नं. 3 एन.जी.आर. खाता संख्या 9/30 व 107/87 (4.758है) निम्न अनुसार।

(क)-वादीगण 1-अरविंद पुत्र लालचन्द 2-बाधोदेवी पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी

मल्लड़खेड़ा की कब्जा काश्त की भूमि:-

पत्थर न.	मु.न.	किला नम्बर
181/219	19	6/1/0.228, 15/1/0.114, 15/3/0.114,
182/219	20	1/1/0.228, 20/0.253,

कुल क्षेत्रफल= 0.937 है0 नहरी

(ख)-प्रतिवादी 1 से 3 विनोदकुमार, दानाराम, ओमप्रकाश पि0 बलवंतराम जाति जाट निवासी नगराना की कब्जा काश्त की भूमि:-

पत्थर न.	मु.न.	किला नम्बर
181/218	12	6/1/0.190, 7/0.139, 13-14/0.253 है प्र. 16/1/0.228,
181/219	19	10 ता 14/0.253 है प्र., 17 ता 19/0.253 है प्र. 23/0.253है., 16/1/0.228, 20/2/0.127,
180/219	18	6/1/0.126,

कुल क्षेत्रफल= 3.821 है0 नहरी

उपरौक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार

शेष पृष्ठ 2 पर

एगलान गांवों में अंका अंका 2023  
जिला प्रशासक (DDO)  
श्री. लीलावाली

संगरिया के पत्र क्रमांक डिक्री/भू.अ./023/18 दिनांक 09.03.23 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

निज..........निल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत..........निल..........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22/6/2023 को जारी किया गया



*[Handwritten Signature]*  
22/6/23  
(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
शिविर स्थल, लीलावती